ग्राम पंचायत सिध्याणी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सिध्याणी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री इन्द्रवीर सिंह	1.4.2014 से 22.1.2016 तक
2	श्री इन्द्रवीर सिंह	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सेवक राम	1.4.2014 से 31.3.2017 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत सिध्याणी के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवम निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली/पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्त शेष में भारी अन्तर	1.76
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.28
3	6	अनुदानों का उपयोग न करना	33.44

4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	4.02
5	8	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियों न करना	5.32
6	9	बिना उचित व्यय वाउचरों के अनुचित भुगतान	1.54

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सिध्याणी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवम वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.7.2017 से 22.7.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवम् व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/2015	09/2014
2015–16	03/2016	09/2015
2016–17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सिध्याणी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 22.7.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 162192 दिनांक 5.8.2017 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत सिध्याणी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत सिध्याणी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2014–15	85383	59684	145067	24240	120827
2015–16	120827	102958	223785	18651	205134
2016–17	205134	171821	376955	31668	345287

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत सिध्याणी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2014–15	1688358.55	2936801	4625159.55	3183841	1441318.55
2015–16	1441318.55	2502758	3944076.55	1690350	2253726.55
2016–17	2253726.55	3717899	5971625.55	2627621	3344004.55

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

स्वः स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष	345287
अनुदानः–	
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	3344004.55
कुल योग	3689291.55
दिनांक 31.3.2017 के विभिन्न बैंक खातों का शेष	3980140.95
(**संलग्न परिशिष्ट–II**)	
हस्तगत रोकड़ (राशि)	413.00
कुल योग	3980553.95
अन्तर	291262.40

अन्तर का कारणः–

दिनांक 31.3.2017 से पूर्व जारी किये गए चैक जिनका भुगतान 31.3.17 के बाद हुआ (**संलग्न परिशिष्ट–III**)	115627
शेष अन्तर	175635.40

जाँच में पाया गया कि समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों सेग्राम पंचायत द्वारा मिलान न करने के कारण अभी भी रोकड़ बहियों के अन्त शेष तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹175635.70 का अन्तर था, जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 19.7.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया।

4.2 रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप ₹1.76 लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत सिध्याणी की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों का बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान अनिवार्य था। अतः मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹175635.40 का भारी अन्तर है जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4.1 में दिया गया है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण देते हुए दिनांक 31.3.17 को पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया किः–

(क) संलग्न **परिशिष्ट –IV** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को गृह कर के रूप में ₹27670 तथा दुकानों के किराये से ₹301 कुल वसूली ₹27971 वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) पंचायत द्वारा वसूले जाने वाले गृह कर की दर ₹10 प्रति वर्ष है जोकि पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा मौजूद समय में बहुत कम है। अतः गृहकर की दर का पुनः निर्धारण किया जाये।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा एक दुकान (शराब का ठेका) ₹750 प्रतिमाह की दर से किराये पर दिया गया है। परन्तु इसका मासिक किराया कभी नहीं बढ़ाया गया। अतः किरायेदार से अनुबन्ध करके मासिक किराये में वृद्धि की जाये तथा भविष्य में भी अनुबन्ध का नवीकरण करके किराये में वृद्धि का प्रावधान किया जाये।

(घ) अंकेक्षण के दौरान बताया गया कि पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत बी0एस0एन0एल0 का एक मोबाईल टावर स्थापित है। परन्तु इस टावर की वार्षिक फीस, सम्बन्धित विभाग से वसूल नहीं की जा रही है। अतः दूर संचार कम्पनी से मोबाईल टावर की स्थापना से लेकर अद्यतन वसूली समय–2 पर निर्धारित दरों पर की जाये।

6 अनुदान ₹33.44 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹3344004 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकार योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त (अनुपयुक्त) राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था/विभाग को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹4.02 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

चयनित मासों के व्यय से सम्बन्धित वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹401651 के स्टॉक का क्रय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67(5) तथा 69 में निर्दिष्ट औपचारिकताओं (निविदाएं इत्यादि आमंन्त्रित करना) को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होते हुए अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर के क्रय का नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस

अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	**वा0सं0 /माह**	**विवरण**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**राशि**
1	112 माह 09/14 (सामान्य)	4m3 रेत, बजरी	श्री दुनी चन्द	5000
2	113 माह 09/14 (सामान्य)	7 M3 रेत व बजरी	श्री हेमराज	9175
3	69 माह 09/15 (सामान्य)	7m3 कट स्टोन 3m3 रेत 10M3 बजरी	–यथोपरि–	20500
4	151 माह 03/2017 (सामान्य)	सरिया बिल संख्या 2263 दिनांक 22.3.17	श्री मदन लाल	24323
5	152 माह 03/17 (सामान्य)	सरिया बिल संख्या 2269 दिनांक 22.3.17	–यथोपरि–	24323
6	153 माह 03/17 (सामान्य)	सरिया बिल संख्या 2271 दिनांक 23.3.17	–यथोपरि–	27025
7	04 माह 09/14 (IWMP)	42m3 कट स्ओन 4M3 बोल्डर	श्री लेख राम	58800
8	69 माह 09/14 (नरेगा)	42 M3 कट स्टोन	श्री दुनी चन्द	42000
9	70 माह 09/14 (नरेगा)	6M3 बजरी	–यथोपरि–	7500
10	74 माह 09/14 (नरेगा)	10M3 कट स्टोन	श्री हेम राज	10000
11	75 माह 09/14 (नरेगा)	5M3 रेत 10M3 कट स्टोन	श्री हेम राज	16000
12	76 माह 09/14 (नरेगा)	19M3 रेत	श्री हेम राज	23750
13	45 माह 09/15 (नरेगा)	निर्माण सामग्री	श्री हेम राज	50000
14	55 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	14625
15	49 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	श्रीमती प्रेम लता	10650
16	59 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	5380

17	61 माह 09/15	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4750
18	64 माह 09/15	–यथोपरि–	श्री हेम राज	16000
19	23 माह 09/15	–यथोपरि–	–यथोपरि–	16500
20	79 माह 09/15	–यथोपरि–	प्रेम लता	15350
			कुल योग	**₹401651**

8 ₹5.32 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करके, जारी करने तथा भण्डारण की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मासों के व्यय से सम्बन्धित वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹532131 की क्रय भवन/मार्ग निर्माण सामग्री की भण्डार रजिस्टरों में प्रविष्टि नहीं की गई थी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करना सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	**वा0सं0 /माह**	**विवरण**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**राशि**
1	103 माह 09/14 (सामान्य)	निर्माण सामग्री (सीमेंन्ट)	हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम	16480
2	112 माह 09/14 (सामान्य)	निर्माण सामग्री	श्री दुनी चन्द	5000
3	113 माह 09/14 (सामान्य)	–यथोपरि–	श्री हेम राज	9175
4	69 माह 09/15 (सामान्य)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	20500
5	136 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	श्री देवेन्द्र कुमार	12000
6	137 माह 03/17 (सामान्य)	निर्माण सामग्री	–यथोपरि–	12000

7	138 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	12000
8	144 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	श्री गिरधारी लाल	25200
9	145 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	27600
10	146 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	25200
11	151 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–(सरिया)	श्री मदन लाल	24323
12	152 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	24323
13	153 माह 03/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	27025
14	04 माह 09/14 (IWMP)	निर्माण सामग्री	श्री लेख राज	58800
15	69 माह 09/14 (नरेगा)	–यथोपरि–	श्री दुनी चन्द	42000
16	70 माह 09/14 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	7500
17	74 माह 09/14 (नरेगा)	–यथोपरि–	श्री हेम राज	10000
18	75 माह 09/14 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	16000
19	76 माह 09/14 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	23750
20	45 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	50000
21	55 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	14625
22	49 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	श्रीमती प्रेम लता	10650
23	59 माह 09/15 (नरेगा)	–यथोपरि–	–यथोपरि–	5380

G.P. Sidhyani

24	61 माह 09/15	—यथोपरि—	—यथोपरि—	4750
25	64 माह 09/15	—यथोपरि—	श्री हेम राज	16000
26	23 माह 09/15	—यथोपरि—	—यथोपरि—	16500
27	79 माह 09/15	—यथोपरि—	श्रीमती प्रेम लता	15350
			कुल योग	**532131**

9 बिना उचित व्यय वाउचरों/अभिलेख के ₹1.54 लाख का अनुचित भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित भुगतान यद्यपि पंचायत निधि से किये गये परन्तु इनमें सम्बन्धित अभिलेख यथा माप पुस्तिका आपूर्तिकर्ता को बिल, रसीद सामग्री उपयोग सूची इत्यादि आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1) (2) के विपरीत है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹153707 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	**निधि का नाम**	**वा0सं0/माह**	**शीर्ष**	**राशि**	**कार्य का नाम**
1	सामान्य अनुदान	136 माह 03/17	14 वित्तायोग	12000	मुरम्मत मार्ग लैहणु राम के घर से बेली राम के घर तक
2	—यथोपरि—	137 माह 03/17	—यथोपरि—	12000	मुरम्मत रास्ता सदेहड़ा से बावड़ी
3	—यथोपरि—	138 माह 03/17	—यथोपरि—	12000	मुरम्मत रास्ता पूरवी के घर से भावत तक
4	—यथोपरि—	153 माह 03/17	—यथोपरि—	27025	मुरम्मत ग्राम सेवक हट
5	नरेगा	62 माह 09/14	—	2880	C/O वाटर टैंक सिध्याणी
6	—यथोपरि—	63 माह 09/14	—	2920	—यथोपरि—

7	–यथोपरि–	64 माह 09/14	–	2640	–यथोपरि–
8	–यथोपरि–	69 माह 09/14	–	42000	निर्माण जल संग्रहण टैंक भावत
9	–यथोपरि–	70 माह 09/14	–	6492	निर्माण सड़क बनौण से कातली
10	–यथोपरि–	74 माह 09/14	–	10000	C/O वाटर स्टोरेज टैंक At मशीना बावड़ी
11	–यथोपरि–	76 माह 09/14	–	23750	C/O वाटर टैंक भावत
			कुल योग	**153707**	

10 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2) (i) तथा 105 के अन्तर्गत प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिकाओं में की गई विकासात्मक कार्यों की प्रविष्टियों का सत्यापन कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिका प्रविष्टियों का सत्यापन नियमानुसार करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11 विहित रजिस्टरों का अनुरक्षण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवम आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(1) अनुदान रजिस्टर

(2) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर

(3) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(4) गृहकर तथा किराया मांग व संग्रह रजिस्टर

(5) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(6) वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract)

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का निपटान अंकेक्षण के दौरान ही कर दिया गया। अतः इस विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

13 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत सिध्याणी के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 27 / 2017—खण्ड—1—7236—7239 दिनाँक19.12. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सिध्याणी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

G.P. Sidhyani